रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 2
PART III—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2, 1974/माघ 13, 1895
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2, 1974/MAGHA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January 1974

No. D. II-451(14/37)/72.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Sections 18 and 19 of Article V of the Schedule to the said Act shall apply *mutatis mutandis* to a Judge of the International Court of Justice who has declared India as the place of his residence, irrespective of his nationality, for the duration of his tenure of office in the aforesaid capacity.

S. J. S. CHHATWAL, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

सं० डी० दो-451(14/37)/72.—संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतत् द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद की धारा 18 तथा 19

के परंतुक आवश्यक परिवर्तन सहित, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऐसे न्यायधीश पर भी लागू होंगे जिसने अपनी उक्त हैसियत में अपने पद के कार्यकाल में भारत को अपना निवास का स्थान घोषित किया है चाहे उसकी राष्ट्रिकता कुछ भी हो ।

एस० जे० एस० छतवाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974